

थाना कुलपहाड़ पुलिस टीम ने 15 लीटर अवैध शराब के साथ अभियुक्ता को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री एवम् परिवहन की रोकथाम व इसमें लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में दिनांक 10.01.2023 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर०के० गौतम व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री उमेश चन्द्र के निकट पर्यवेक्षण में थाना कुलपहाड़ प्रभारी निरीक्षक श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह के द्वारा गठित की गयी उ०नि० नवरोत्तम सिंह व आबकारी निरीक्षक योगेश कुमार के नेतृत्व में संयुक्त टीम के द्वारा थाना कुलपहाड़ क्षेत्र अन्तर्गत सोनिक पुरवा कबूतरा डेरा से 15 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ एक नफर अभियुक्ता आरती पत्नी अजीत कबूतरा नि. सोनिकपुरवा कबूतरा डेरा थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा, जिसको पुलिस हिरासत में लिया गया। अभियुक्ता के कब्जे से एक प्लास्टिक की पिपिया में 15 लीटर कच्ची देशी अबैध शराब नाजायज बरामदगी के आधार पर अभियुक्ता उपरोक्त के विरुद्ध थाना हाजा पर मु०अ०सं० 14/2023 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार शुदा अभियुक्ता -

आरती पत्नी अजीत कबूतरा नि. सोनिकपुरवा कबूतरा डेरा थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली संयुक्त पुलिस टीम -

1. उ.नि. नवरोत्तम सिंह थाना कुलपहाड़ महोबा
2. आबकारी निरीक्षक योगेश कुमार गुप्ता
3. आ.का. रामशंकर सिंह 4. आ.म.का. नेहा



थाना कुलपहाड़ पुलिस टीम ने सार्वजनिक स्थान पर हार-जीत की बाजी लगा जुआ खेल रहे 05 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपद में अवैध रूप से संचालित जुआ व सट्टा में लिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 11.01.2023 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0 गौतम व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री उमेश चन्द्र के निकट पर्यवेक्षण में थाना कुलपहाड़ प्रभारी निरीक्षक श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह के द्वारा गठित की गयी 30नि0 दिनेश सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने सार्वजनिक स्थान मस्तयाना मुहल्ला कस्बा जैतपुर बेलाताल थाना कुलपहाड़ में हार-जीत की बाजी लगा जुआ खेलते हुये 05 नफर अभियुक्तगण क्रमशः 1. हीरालाल कुशवाहा 2. कल्याण सिंह 3. परशुराम अहिरवार 4. मिन्टू राजपूत 5. उमाशंकर बरार को मय मालफड़ 8550/- रूपये मय 52 अदद ताश पत्ता व जामा तालाशी 1470/- रूपये के साथ नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया था। अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध थाना हाजा पर मु0अ0सं0 15/2023 धारा 13 G ACT का मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

बरामद माल का विवरण:-

मालफड़ 8550/- रूपये मय 52 अदद ताश पत्ता व जामा तालाशी 1470/- रूपये

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. उ.नि. दिनेश सिंह
2. हे.का. उदयभान 3. हे.का. मुकेश सिंह
4. का. अजयप्रताप सिंह 5. का. अमित दीक्षित थाना कुलपहाड़



थाना कोतवाली महोबा पुलिस टीम ने अवैध तमंचे के साथ डांस करने वाले अभियुक्त को किया गिरफ्तार, कब्जे से अवैध तमंचा व कारतूस किया बरामद-

दिनांक 09.01.2023 को थाना कोतवाली महोबा क्षेत्रअन्तर्गत ग्राम किडारी में एक व्यक्तिगत कार्यक्रम के दौरान एक युवक द्वारा अवैध तमंचे के साथ डांस किया गया था, जिसका वीडियो दिनांक 10.01.2023 को विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म में वायरल हुआ जिस पर जनपदीय पुलिस मीडिया सेल द्वारा प्रकरण में तत्काल संज्ञान लेते हुये प्रकरण के संबंध में उच्चाधिकारियों को अवगत कराया साथ ही प्रकरण की जांच व संबंधित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु थाना स्थानीय पुलिस टीम को निर्देशित किया गया था।

जिसके क्रम में आज दिनांक 11.01.2023 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0 गौतम व क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली महोबा प्रभारी निरीक्षक श्री बलराम सिंह द्वारा गठित की गयी उ0नि0 विवेक यादव व कां0 शिवबाबू के नेतृत्व में पुलिस टीम ने सम्बन्धित अभियुक्त निखिल राजपूत पुत्र बृजेन्द्र राजपूत उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम किडारी थाना कोतवाली नगर महोबा को थाना क्षेत्रअन्तर्गत किडारी मोड़ के पास तलाब की सीढियों में नियमानुसार गिरफ्तार किया, गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से संबंधित अवैध तमंचा 315 बोर 01 अदद व 01 अदद जिन्दा

कारतूस बरामद किया गया, इस बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थानास्थानीय पर मु.अ.सं. 20/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया व अभियुक्त को मां0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 विवेक यादव
2. कां0 शिवबाबू



**पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन पर भारी वाहनों,
ट्रैक्टर ट्रॉली आदि पर सड़क दुर्घटनाओं को रोकने
के उद्देश्य वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगवाए गए।**

आज दिनांक 11.01.2023 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी यातायात सुश्री हर्षिता गंगवार व एआरटीओ महोबा श्री सुरेश वर्मा के निकट पर्यवेक्षण में सर्दियों में घने कोहरे के दृष्टिगत सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाए जाने हेतु यातायात प्रभारी निरीक्षक श्री शिवपाल सिंह के नेतृत्व में जनपदीय यातायात पुलिस एवं आरटीओ महोबा द्वारा संयुक्त रूप से अभियान चलाकर मालवाहक वाहनों एवं ट्रैक्टर ट्रॉली पर रिफ्लेक्टर लगवाया जा रहा है जिसके क्रम में जनपद में वाहनों पर रिफ्लेक्टर टैप लगाए गए एवं सभी वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने तथा सड़क दुर्घटनाओं से बचाव हेतु जागरूक किया गया ।



महिला सुरक्षा विशेष दल (एण्टीरोमियो स्क्वाड) द्वारा बालिकाओं एवं महिलाओं को महिला अधिकारों/महिला सुरक्षा के बारे में किया जा रहा है जागरूक -

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा महिला सुरक्षा एवं जागरूकता के दृष्टिगत चलाए जा रहे “मिशन शक्ति अभियान” के अंतर्गत गठित किए गए महिला सुरक्षा विशेष दल के क्रम में आज दिनांक- 11.01.2023 को जनपद महोबा के समस्त थानों में गठित महिला सुरक्षा विशेष दल (एण्टीरोमियो स्क्वाड) द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र अंतर्गत बाजारों, भीड़भाड़ वाले इलाकों, स्कूलों, कॉलेजों, कोचिंग संस्थानों एवं गांव/सचिवालय में पहुंचकर बालिकाओं/छात्राओं एवं महिलाओं के उत्पीड़न की रोकथाम संबंधी अधिकारों एवं महिला उत्पीड़न के संबंध में पुलिस द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के बारे में जागरूक किया गया जिसमें महिला सुरक्षा विशेष दल ने बालिकाओं/ छात्राओं एवं महिलाओं को पुलिस द्वारा चलाई जा रही हेल्पलाइन नंबर- वूमेन पावर लाइन- 1090, महिला हेल्पलाइन-181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन- 1076, यूपी-112, चाइल्ड हेल्पलाइन-1098, साइबर हेल्पलाइन-1930 व UP COP App आदि के बारे में जानकारी दी गई तथा किसी भी अप्रिय घटना के बारे में संदेह होने पर उक्त हेल्पलाइन नंबर या नजदीकी पुलिस थाना/महिला हेल्पडेस्क को सूचित करने के बारे में जागरूक किया गया।



क्षेत्राधिकारी नगर, महोबा द्वारा न्यायालय परिसर का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया।

आज दिनांक 11.01.2023 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय द्वारा न्यायालय परिसर महोबा का औचक निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया, इस दौरान न्यायालय की सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी व मौके पर मौजूदगी की तस्दीक की गयी, साथ ही सम्पूर्ण न्यायालय परिसर में भ्रमण कर सुरक्षा इंतजामों को देखा गया जहां मुख्य गेटों पर लगे डीएफएमडी यानी डोर फ्रेम मेटर डिटेक्टर व अन्य अत्याधुनिक उपकरणों को चेक किया गया।

इसी क्रम में क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा न्यायालय सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों को सख्त हिदायत देते हुये निर्देशित किया गया कि अनावश्यक मोबाइल फोन का इस्तेमाल करें पूरी सतर्कता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें साथ ही संदिग्धों की लगातार चेकिंग करने तथा अनावश्यक रूप से किसी को प्रवेश न देने, न्यायालय परिसर के अन्दर व्यक्तियों को इकट्ठा होकर जमावडा न बनाने देने, किसी भी रूप में अनावश्यक वाहनों को प्रवेश न दिया जाये, प्रत्येक व्यक्ति को नियमानुसार चेकिंग के उपरान्त ही प्रवेश दिया जाये इत्यादि आवश्यक निर्देश प्रभारी न्यायालय सुरक्षा को दिये।



गैंगेस्टर एक्ट से संबंधित अभियुक्त द्वारा आपराधिक कृत्यों से अर्जित की गयी लगभग 13 लाख, 32 हजार रुपये की सम्पत्ति को पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन पर धारा 14(1) गैंगेस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपद में अपराधियों के विरुद्ध आपराधिक कृत्यों से अर्जित संपत्ति के जब्तीकरण हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0 गौतम के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक 11.01.2023 को प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कुलपहाड़ व प्रभारी निरीक्षक थाना अजनर के नेतृत्व में गठित की गयी संयुक्त पुलिस टीम ने अभियान के तहत मय पुलिस बल के साथ माननीय जिला मजिस्ट्रेट महोबा महोदय के आदेश वाद संख्या 731/22 के अनुपालन में मु०अ०स० 208/20 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना अजनर जनपद महोबा से संबंधित अभियुक्त सुखराम पुत्र जमुना प्रसाद राजपूत निवासी अकोनी थाना अजनर महोबा के द्वारा अवैधानिक तरीके से अर्जित की गई अचल संपत्ति को धारा 14(1) गैंगेस्टर एक्ट के तहत मोहल्ला जुगियाना वार्ड नंबर 10 कस्बा व थाना राठ जनपद हमीरपुर में स्थित 30 वर्ग मीटर क्षेत्रफल प्लाट में स्थित दो मंजिला मकान जिसकी कुल कीमत 13,32,000 (तेरह लाख बत्तीस हजार रुपए) है को अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका परिषद राठ जनपद हमीरपुर व नायब तहसीलदार राठ जनपद हमीरपुर की उपस्थिति में मकान के मुख्य दरवाजा पर ताला लगाकर सील मुहर कर नियमानुसार मकान को कुर्क किया गया व दरवाजा पर बाद संख्या अंकित किया गया।

संयुक्त पुलिस टीम का विवरण-

1. SHO कुलपहाड़ श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह
2. SHO अजनर श्री शिवआसरे
3. व0उ0नि0 रामकिशन यादव 4. चालक हे.कां. विनोद 5. कां0 भारत मौर्य अजनर
6. कां0 विककी चौधरी 7. म.कां. शीला यादव थाना अजनर महोबा
1. कां0 महेन्द्र 2. कां0 अजय 3. कां. प्रबिन्द 4.म.कां. वर्षा राजा थाना कुलपहाड़

